



संदेश

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी संघ सरकार की राजभाषा है। संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी के अनुरूप भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 14 सितम्बर का दिन 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

राजभाषा हिन्दी को जन-जन तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक हिन्दी ने एक संपर्क भाषा के रूप में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश को जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। भूमण्डलीकरण के इस दौर में आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाए एवं सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी का प्रयोग किया जाए ताकि हिन्दीतर प्रांतों के लोग भी उसे सहजता से स्वीकार कर सकें। हमें अन्य प्रांतीय भाषाएं भी सीखनी चाहिए इससे हिन्दी का शब्द भंडार भी समृद्ध होगा और अन्य भाषा-भाषी लोग भी हिन्दी का सम्मान करेंगे।

टेलिविजन, फिल्मों और विज्ञापनों आदि के कारण आज हिन्दी तो पूरे देश में लोकप्रिय हो गई है मगर सरकारी काम-काज में अभी भी राजभाषा हिन्दी अपना पूरा स्थान प्राप्त नहीं कर सकी है। यह कार्य केवल नियम और अधिनियमों के सहारे नहीं हो सकेगा।

मेरी वस्त्र मंत्रालय एवं इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों आदि में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा है कि वे 14 सितंबर 2018 को हिन्दी दिवस के मौके पर ईमानदारी से यह संकल्प लें कि वे सरकारी कामकाज में हिन्दी भाषा का भरपूर इस्तेमाल करते रहेंगे।

14 सितंबर, 2018


(अजय टम्टा)